रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1525] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2006/पौष 5, 1928
No. 1525] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2006/PAUSA 5, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2150(अ).—जबकि बंबई डॉक लेबर बोर्ड, पिछले कई वर्षों से वित्तीय तंगी का सामना कर रहा था और वह अपने कर्मचारियों और रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को मजदूरी का भुगतान करने में असमर्थ था ;

और जबकि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि गंभीर वित्तीय आपात स्थिति विद्यमान थी, जिसके कारण उपर्युक्त बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ था ;

और जबकि उक्त बोर्ड को, केन्द्रीय सरकार द्वारा, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम,1948 (1948 के अधिनियम सं0 9)की धारा 6ख की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार, भारत-सरकार के पहले के जल-भूतल-परिवहन-मंत्रालय की तारीख 25 फरवरी, 1994 की अधिसूचना सं0 का.आ.204 (अ) द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए अधिक्रान्त कर दिया गया था और वे सभी अधिकार और कृत्य, ऐसे अधिक्रमण की अवधि के दौरान अध्यक्ष, बम्बई-पत्तन-न्यास, बम्बई को दे दिए गए ।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त अधिक्रमण की अवधि, भारत-सरकार की अधिसूचनाओं के द्वारा आगे एक वर्ष की अवधि तक बढ़ा दी गई :-

(i) पहले के जल-भूतल-परिवहन-मंत्रालय की तारीख 02 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना सं0 का.आ.113 (अ0), तारीख 23 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं0 का.आ. 892 (अ0), तारीख 30 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं0 का.आ. 925 (अ0), तारीख 24 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना सं0 का.आ.1114 (अ0) और तारीख 20 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1252 (अ0);

(ii) पहले के पोत परिवहन मंत्रालय की, तारीख 26 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1161 (अ0), तारीख 31 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 का.आ. 4(अ0), तारीख 31 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1392 (अ0) और तारीख दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं0 का.आ. सं0 1467 (अ0); और

(iii) पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय की तारीख 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1374(अ0) और तारीख 27 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं0 का.आ. 1819(अ0) ।

और जबकि उपर्युक्त अधिक्रमण का विस्तार, 31 दिसम्बर, 2006 को समाप्त हो रहा है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त अधिक्रमण की अवधि और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाना आवश्यक समझती है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 ख की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि आगे 31 दिसम्बर,2007 तक या मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड के मुंबई-पत्तन-न्यास में विलयन के प्रवृत्त होने की तारीख तक, में से जो भी पहले हो, तब तक बढ़ा देती है । ऐसे अधिक्रमण की अवधि के दौरान, अध्यक्ष, मुम्बई-पत्तन-न्यास द्वारा उन सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग या निर्वहन किया जाएगा, जिनका उक्त बोर्ड द्वारा प्रयोग या पालन किया जा सकता था।

[फा. सं. एल. बी.-13022/4/97-एल-IV]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2006

S.O. 2150(E).—Whereas the Bombay Dock Labour Board, Bombay was facing financial stringency for the last several years and was unable to pay wages to its employees and registered workers;

And whereas after considering various aspects, the Central Government was of the opinion that, a grave financial emergency existed due to which the Board was unable to perform its functions;

And whereas in exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) of section 6B of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government superseded the said

Board for a period of one year, vide the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport number S.O. 204(E), dated the 25th February, 1994 and during the period of supersession, the powers and functions of the said Board were vested in the Chairman, Bombay Port Trust, Bombay;

And whereas the Central Government has, from time to time, extended the period of supersession for a further period of one year vide notifications of the Government of India in the-

(i) erstwhile Ministry of Surface Transport, number S.O.113(E), dated the 2nd September, 1995, number S.O. 892(E), dated the 23rd December, 1996, number S.O. 925(E), dated the 30th December, 1997; number S.O. 1114(E), dated the 24th December, 1998 and number S.O.1252(E), dated the 20th December, 1999;

(ii) erstwhile Ministry of Shipping, number S.O.1161(E), dated the 26th December, 2000; number S.O. 4(E), dated 31st December, 2001, number S.O. 1392(E), dated the 31st December, 2002 and number S.O.1467(E), dated the 26th December, 2003; and

(iii) Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S.O.1374(E), dated the 13th December, 2004 and number S.O. 1819(E), dated the 27th December, 2005;

And whereas the period of supersession so extended expires on the 31st December, 2006;

And whereas the Central Government considers it necessary to extend the period of supersession for a further period of one year;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6B of the said Act, the Central Government hereby further extends the period of supersession of the Board upto the 31st December, 2007 or the date of coming into force of the merger of Bombay Dock Labour Board with Mumbai Port Trust, whichever is earlier, and till such time, all the powers and functions that may be exercised or performed by the said Board shall be exercised or performed by the Chairman, Mumbai Port Trust, Mumbai.

[F. No. LB-13022/4/97-L-IV]

A.K. BHALLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.